तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/8/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप०। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र/वाद पत्र पर बहस की गई जो सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 22/8/25 को पेश हो।	
22/8/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खातेदार मनमीत कौर पुत्री इकबाल सिंह जाति जट सिक्ख निवासी अटवाल कॉम्पलेक्स पुलिस लाईन कोटा की ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का लाडपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में खाता नं0 14 पुराना 9 खसरा नं0 287/2 रकबा 0.3700 है0 आराजी स्थित है। जिसपर खातेदार काबिज व उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। खातेदार को रूपयों की आवश्यकता होने से खातेदार द्वारा खसरा नं0 287/2 रकबा 0.3700 है0 में से एक भाग आराजी रकबा 0.0108 है0 (पश्चिमी दिशा के मध्य की तरफ में) वाके ग्राम कोटड़ी स्थित आराजी को पंजीकृत विक्रय पत्र 17.07.2020 को वादीगण को बेचान कर दिया, बाद खरीद वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण द्वारा बाद खरीद पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.07.2020 के आधार पर प्रतिवादी को इंतकाल खोलने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये किन्तु प्रतिवादी द्वारा हर बार सिस्टम अपडेट नही होने के कारण वादीगण के नाम विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल तस्दीक नही किया जिसके कारण वादीगण को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को विक्रय पत्र दिनांक 17.07.2020 के आधार पर ग्राम कोटड़ी तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नं0 287/2 रकबा 0.3700 है0 में से एक भाग आराजी रकबा 0.0108 है0 (पश्चिमी दिशा के मध्य की तरफ में) का खातेदार घोषित कर तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे। प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया। आवेदक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल चाहता है। विक्रय पत्र तथा तहसील द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अवलोकन किया गया। वाद में एकमात्र निर्धारित किए जाने वाला बिन्दु यह है कि क्या आवेदक राजस्व रिकॉर्ड में अमल की पात्रता रखता है तथा प्रश्नगत भूमि आवेदक के खाते दर्ज की जानी चाहिए। उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार भी प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के साथ ही कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम खेड़ा वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। उक्त विक्रय के पेटे समस्त निर्धारित राशि का भुगतान भी उसके द्वारा किया जा चुका है। तथा प्रश्नगत आराजी का कब्जा भी उसके द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। विक्रय पत्र में स्पष्टतया क्रय किए गए भू–भाग का हिस्से में भी उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के अनुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा केवल इस आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है कि ऑनलाइन साफ्टवेयर में तरमीम का ऑप्शन नहीं आने के कारण	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

तरमीम नहीं की जा सकती तथा इसी कारण इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का आगे कथन है कि यदि सरकार के साफ्टवेयर में कोई कमी है, तो उसके लिए प्रार्थी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।

उपस्थित अभिभाषक द्वारा आगे वर्णित किया गया कि तरमीम का ऑप्शन पटवारी की आईडी पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलआरसी की आईडी पर उपलब्ध है, अतः यदि न्यायालय आदेश दे तो टीडीआर व एलआरसी की आईडी से तरमीम की जा सकती है तथा इन्तकाल भी दर्ज किया जा सकता है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अध्ययन किया गया। तहसील द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में ई–धरती सॉफ्टवेयर पर नामान्तरकण ऑनलाईन दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर पर विक्रय पत्र के नामा0 स्वतः स्वीकृत नामा0 दर्ज किए जा रहे है तथा प्रार्थी के द्वारा दिनांक 17.07.20 को खातेदार से ग्राभ कोटड़ी पटवार हल्का लाडपुरा ग्राम कोटड़ी तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नं0 287/2 रकबा 0.3700 है0 (नया खसरा नं0 411/405 रकबा 0.1057) में से रकबा 0.0108 है0 (पश्चिमी दिशा के मध्य की तरफ में) को पंजीकृत विक्रय पत्र से वादीगण द्वारा क्रय की है। उक्त नामान्तकरण दर्ज करने में कोई तकनीकी समस्या नही है। खसरा विभाजन एवं तरमीम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में वर्णित है। अतः केवल मात्र विक्रय पत्र के आधार पर विभाजन किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत नही है।

स्पष्टतया ई पंजीयन सॉफ्टवेयर से उक्त नामान्तरकरण दर्ज नही हो पाया है। सॉफ्टवेयर की किसी कमी या त्रुटि के लिए प्रार्थी प्रताड़ित नही हो सकता।

उक्त परिस्थितियों में वाद का एकमात्र निर्धारक बिन्दु वादी के पक्ष में तय किया जाता है तथा आदेश दिए जाते हैं कि विक्रयपत्र दिनांक 17.07.2020 द्वारा क्रेता श्रीमती पदम कॅवर पत्नि श्री प्रदीप सिंह राठौड़ एवं श्री प्रदीप सिंह राठौड़ पुत्र श्री केसरी सिंह राठौड़ जाति राजपूत को विक्रय की गई ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का लाडपुरा ग्राम कोटड़ी तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नं0 287/2 रकबा 0.3700 है0 (नया खसरा नं0 411/405 रकबा 0.1057) में से रकबा 0.0108 है0 (पश्चिमी दिशा के मध्य की तरफ में) को क्रेता श्रीमती पदम कॅवर पत्नि श्री प्रदीप सिंह राठौड़ एवं श्री प्रदीप सिंह राठौड़ पुत्र श्री केसरी सिंह राठौड़ जाति राजपूत के खाते दर्ज किया जावे तथा विक्रय पत्र अनुसार खसरा नंबर में आवश्यक तरमीम की जावे।

निर्णय भी प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

उक्त निर्णय आज दिनांक ......22/8/25...... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा